संख्या= 1018 /1-11-2004-रा0-11
-18(जो)/2002

प्रेषक,

श्री रविन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2004

विषय: वर्ष 2004 हेतु बाढ़ प्रबन्धन योजना तैयार करने के संबंध में निर्देश ।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जल प्लावन से प्रभावित होते है और आकस्मिक एवं अत्याधिक वर्षा हो जाने के कारण नदियों में भी बाढ़ आती है । नदियों के जल स्तर बढ़ने से क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और फसलों के क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ सम्पत्ति की गंभीर हानि होती है । अतएव यह आवश्यक है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी रखी जाय, ताकि बाढ़ की स्थिति में जन एवं सम्पत्ति की हानि कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुँचाना सम्भव हो सके ।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। बल्कि अपेक्षा यह है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिया जाय । प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अन्य या अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुँचाना जिलाधिकारी का दायित्व है । अत: राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिए शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिये न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषणा की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय । आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने की कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय :-

(1) जिला परामर्शदात्री आपातकालीन सहायता समिति के परामर्श से विगत वर्ष के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की बाढ़ सुरक्षा

-2-

योजना को 15 मई, 2004 तक अन्तिम रूप देकर एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना ।

१2१ जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना 5 मई, 2004 तक करना। बाढ़ राहत कार्यों के लिए किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर, उसके नाम, पता व दूरभाष नम्बर आदि की सूचना शासन में स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना । उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी संबंधित विभाग जिनका संबंध सीधे बाढ़ राहत कार्यों से है, की सूचना भी आपदा नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना ।

१3१ आपदा राहत निधि से जनपदों को उपलब्ध कराई गई धनराशि में आपदा नियंत्रण कक्ष हेतु 4 डिजिट के दूरभाष संयोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसका नम्बर 1077 है । यह संयोजन को तत्काल प्राप्त कर, शासन के आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचित करना ।

१4१ जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी बांधों, कटान से प्रभावित होने वाले जल भराव उन्मुख तथा पानी की निकासी के क्षेत्रों को चिन्हित करना ।

१5१ स्थापित बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों की सार्वजनिक जानकारी कराने की व्यवस्था करना ।

१6१ मानसून आने से पूर्व नालों की सफाई और बांधों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करना ।

१7१ बाढ़ चौकियों व बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं, दवाईयों की मांग का निर्धारण, उनकी प्राप्ति व आपूर्ति की व्यवस्था करना ।

१8१ बाढ़ चौकियों व सुरक्षा केन्द्रों पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची व उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना ।

१9१ बाढ़ चौकियों व बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों के लिए आवश्यक संख्या में नावों की व्यवस्था करना व उनकी मरम्मत व उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित कर लेना ।

१10१ नावों की संख्या, घाटों, नाविकों एवं स्वामियों के पूरे पते आदि रखना । यदि किसी जनपद में पर्याप्त संख्या में नावें उपलब्ध न हों, तो यह भी ज्ञात किया जाय कि अतिरिक्त संख्या में नावें कहां-कहां उपलब्ध हो सकेंगी । साथ ही साथ इसका भी परीक्षण कर लिया जाय कि आपके जनपद में जो राजस्व विभाग के या अन्य मोटर बोट लान्च हों, वह चालू हालत में रहें ।

(11) तटबन्धों और यातायात के मार्गों के बाढ़ से कटान की आशंका वाले स्थानों पर कटान रोकने के लिये बालू की बोरियों तथा अन्य आवश्यक बचाव सामग्री की व्यवस्था करना ।

(12) बाढ़ संबंधी चेतावनी एवं सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति व तत्पश्चात् तत्काल प्रसारण की व्यवस्था करना ।

(13) बाढ़ बचाव कार्यों में विशेष रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित प्रान्तीय सशस्त्र दल (पी.ए.सी.) कम्पनियों की सेवाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, अत: जनपद से सम्बद्ध पी.ए.सी. की वाहिनी के सेनानायक से पूर्व में ही सम्पर्क कर लेना ।

(14) प्राय: जल प्लावित हो जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर पानी निकासी हेतु पम्पों एवं अन्य व्यवस्था करना ।

(15) मानसून के दौरान (दिनांक 16 जून से 15 अक्टूबर तक) वर्षा के दैनिक आंकड़े माह के अन्त में पूरे माह की औसत वर्षा के आंकड़े तथा अन्तिम रूप से वार्षिक वर्षा के आंकड़े शासन को प्रेषित करना ।

(16) बाढ़/भू-स्खलन/जल भराव संवेदी ग्रामों की सूची पहले से ही तैयार कर ऐसे ग्रामों की सूची को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को भी उपलब्ध कराना । इसके अतिरिक्त उक्त सूची की एक-एक प्रति विकास खण्ड, तहसील तथा जिला मुख्यालय पर स्थायी तौर से रखा जाय और उसे बाढ़ योजना में शामिल किया जाना ।

(17) जन प्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को राहत कार्यों में सम्मिलित किये जाने के संबंध में एक कार्यदल (एक्शन ग्रुप) बनाना, जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाय जो नि:स्वार्थ रूप से संकट काल में जनता की सहायता करने में अग्रणी रहते हों व जिनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो । ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाय । इस कार्यदल के माध्यम से यह निर्धारित किया जाय कि किन संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जाना लाभदायक होगा । इस संबंध में स्वैच्छिक एवं दातव्य संस्थाओं, संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाकर उनके सहयोग की रूप रेखा निर्धारित करना । सहायता वितरण के लिये कार्य योजना बनाकर उसका व्यापक प्रचार करना । विशेष रूप से इसकी जानकारी क्षेत्र के ग्राम

प्रधानों, सरपंचों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, विधायकों व सांसदों को दिया जाना ।

(18) बाढ़ के दौरान सेना की सहायता की आवश्यकता भी हो सकती है, अतः इस संबंध में पहले ही से सेना के निकटस्थ अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके भावी कार्य की रूप रेखा तैयार करना कि कहां से, किस प्रकार की व कितनी सहायता मिल सकेगी । जिला बाढ़ योजना की एक प्रति सेना, रेलवे व बी.एस.एन.एल. निकटस्थ एवं एरिया हैड क्वार्टर्स को उपलब्ध कराना । वायु सेना की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित सुविधायें जैसे मानचित्र आदि सुलभ कराने की व्यवस्था करना ।

कृपया उक्त निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाया जाना सुनिश्चित करें । इस शासनादेश की प्राप्ति की सूचना शासन को तत्काल भेजने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(रविन्द्र)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- (1)/1-11-2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(रविन्द्र)
संयुक्त सचिव ।